

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 253 / 2012

दर्ज दिनांक:—12.07.2012

1. पप्पू पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. शान्ती पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्राथी अभिभाषक

दिनेश शर्मा

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—07.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादी इसी स्टेज पर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर